हुकुम सिंह बोरा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोमेश्वर (अल्मोड़ा)

छात्रसंघ निर्वाचन, सत्र 2023–24

आदर्श अधिसूचना

दिनांकः 03.11.2023

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा के पत्र संख्या–SSJU/ सा0/ 2023-24/443 दिनांकः 31.10.2023 द्वारा छात्र संघ निर्वाचन सत्र 2023–24 को सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन तिथि दिनांक 07. 11.2023 निर्धारित की गयी है। उक्त छात्रसंघ निर्वाचन को सम्पन्न कराने हेतु महाविद्यालय प्रशासन द्वारा लिगंदोह समिति एवं विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये नियमों के आधार पर आचार संहिता जारी की जा रही है । जिसका पालन समस्त छात्र संघ प्रत्याशियों को करना अनिवार्य होगा।

1. स्नातक स्तर पर छात्र/छात्रा प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष तथा अधिकतम 22 वर्ष होगी। अर्थात 01जुलाई, 2001 से 01जुलाई, 2006 के मध्य जन्म हुआ हो।
2. स्नातकोत्तर स्तर पर छात्र/छात्रा प्रत्याशी की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी। अर्थात 01जुलाई, 1998 से 01जुलाई, 2006 के मध्य जन्म हुआ हो।
3. आयु की गणना के लिये प्रत्याशी की मानक तिथि 01 जुलाई, 2023 होगी।
4. प्रत्याशी को सम्बन्धित कक्षा में विगत कक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रत्याशी का कोई शैक्षणिक अवशेष (Back/COP) नही होना चाहिए।
5. अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम 75% उपस्थिति पूर्ण की होनी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा परिशिष्ट–2 के अनुसार यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि विगत वर्ष उसकी उपस्थिति 75% रही है। वर्तमान कक्षा में प्रवेश की तिथि से अनुच्छेद 5 (बी) के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लिखित पदों की विशिष्ट अर्हताओं के अनुरूप चुनाव हेतु नामांकन दाखिल करने की तिथि तक 75% उपस्थिति रही है तथा भविष्य में 75% उपस्थिति रहेगी।
6. प्रत्याशी का पूर्व में कोई अपराधिक रिकार्ड नही होना चाहिए। अतः किसी भी प्रकार के अपराध के विचारण अथवा दोषसिद्ध न हुआ हो। अभ्यर्थी को परिशिष्ट–2 में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. प्रत्याशी को सम्बन्धित महाविद्यालय का पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए और उसे दूरस्थ/व्यक्तिगत शिक्षा का विद्यार्थी नही होना चाहिए। अतः प्रत्याशी को संस्थागत विद्यार्थी होना चाहिए। पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम एक वर्ष होना चाहिए।
8. प्रत्याशी को विगत वर्ष में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
9. नामांकन हेतु निर्धारित प्रपत्र/प्रारूप (परिशिष्ट–1) में निर्धारित तिथि एवं समय तक ही स्वीकार किया जायेगा।
10. नामांकन प्रपत्र में सभी प्रविष्टियां पूर्ण करना आवश्यक होगा। अपूर्ण नामांकन प्रपत्र रद्द दिया जायेगा।
11. नामांकन प्रपत्र के साथ हाईस्कूल प्रमाण–पत्र से लेकर अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण तक की सभी परीक्षाओं के अंक तालिकाओं की प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नामांकन स्वीकार नही किया जायेगा।
12. प्रत्येक पद के प्रत्याशी हेतु एक–एक प्रस्तावक एवं एक–एक अनुमोदक होगा, जो उसी संस्था का संस्थागत छात्र/छात्रा होगा/होगी।

Scanned with OKEN Scanner

13. नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी प्रस्तावक और अनुमोदक द्वारा संस्था का वर्तमान शिक्षा सत्र का परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14. कोई भी प्रत्याशी एक से अधिक पद हेतु नामांकन दाखिल नही कर सकेगा।

15. नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थान प्रत्याशी, प्रस्तावक एवं अनुमोदक वही नाम अंकित करेंगे जो उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अकित है। उपनाम मान्य नहीं होगा। नाम में भिन्नता होने पर नामांकन रद्द कर दिया जायेगा।

16. प्रत्याशी को नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट–2 नामांकन शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा वह छात्रसंघ संविधानों में उल्लिखित आचार संहिता का पालन करेगा/करेगी। आचार–संहिता का उलंघन करने की दशा में उसे छात्र–संघ निर्वाचन प्रक्रिया से अलग कर उसका निर्वाचन रद्द कर दिया जायेगा। ऐसा शपथ पत्र रू0–10.00 के स्टाम प्रपत्र पर ओथ कमिश्नर या नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

17. राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव प्रक्रिया में धनराशि दिये जाने पर सम्बन्धित प्रत्याशियों को चुनाव प्रक्रिया से निषेध कर दिया जायेगा।

18. चुनाव के दौरान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के द्वारा महाविद्यालय परिसर के बाहर जुलूस निकालना, जनसभा करना अथवा प्रचार (लाउडस्पीकर, वाहन और पशुओं का प्रयोग) करने की अनुमति नही होगी।

19. महाविद्यालय की सम्पति को विरूपित अथवा ध्वंस किये जाने हेतु संयुक्त एवं प्रथक रूप से उत्तरदायी होगें। प्रत्याशियों के द्वारा महाविद्यालय एवं रास्ते पर बैनर एवं पोस्टर नही लगाये जायेगें।

20. चुनाव प्रचार हेतु प्रत्याशियों द्वारा केवल हस्त निर्मित प्रचार सामग्री का प्रयोग किया जाय।

21. सभी पदो के उम्मीदवारों को मतदान की तिथि से पूर्व निर्धारित दिवस में अपने–अपने विचार छात्र/छात्राओं के समक्ष रखने हेतु 05 (पांच) मिनट का समय दिया जाएगा।

22. सभी प्रत्याशियों से इस आशय का अनुबन्ध पत्र लिया जाएगा यदि उनके द्वारा लिंगदोह समिति के सुझावों का पालन नही किया जाता है तो उनका चुनाव हेतु नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा।

23. छात्रसंघ चुनाव 2023–24 के लिये नामांकन एवं जमानत राशि नामांकन के समय नकद जमा करना होगा।

24. उक्त निर्देशों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन/ एस एस जे/ कुमाऊ विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश लागू होगें।

25. छात्रसंघ निर्वाचन को सफलतापूर्वक सम्पादित करने हेतु संस्था उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य नियम भी निर्गत कर सकते है।

26. स्नातक प्रथम सेमेस्टर स्नातक कक्षा स्थानान्तरण प्रवेश, संकाय परिवर्तन (गत वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर) तथा अन्य संस्था से स्थानान्तरित प्रवेश पाये छात्र–छात्राओं को प्रत्याशी नहीं बनाया जायेगा। ऐसे छात्र/छात्रा का नामांकन होने पर उसे रद्द कर दिया जायेगा।

27. छात्रसंघ चुनाव हेतु निम्न पदों पर चुनाव कराया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

पद	पद हेतु योग्यता
अध्यक्ष –	(i) प्रत्याशी को स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। (ii) प्रत्याशी रा0 स्ना0 महा0 सोमेश्वर में गत वर्ष का संस्थागत छात्र/छात्रा रहा हो।
उपाध्यक्ष(छात्र) –	(i) प्रत्याशी चतुर्थ सेमेस्टर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। (ii) प्रत्याशी रा0 स्ना0 महा0 सोमेश्वर में गत वर्ष का संस्थागत छात्र रहा हो।
उपाध्यक्ष(छात्रा) –	(i) प्रत्याशी चतुर्थ सेमेस्टर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। (ii) प्रत्याशी रा0 स्ना0 महा0 सोमेश्वर में गत वर्ष की संस्थागत छात्रा रही हो।
सचिव –	(i) प्रत्याशी चतुर्थ सेमेस्टर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। (ii) प्रत्याशी रा0 स्ना0 महा0 सोमेश्वर में गत वर्ष का/की संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/रही हो।
संयुक्त सचिव –	(i) प्रत्याशी को स्नातक स्तर की किसी भी कक्षा में अध्ययनरत संस्थागत छात्र/छात्रा होना अनिवार्य है। (ii) प्रत्याशी गत वर्ष का/की संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/रही हो।
कोषाध्यक्ष –	(i) प्रत्याशी को रा0 स्ना0 महा0 सोमेश्वर में किसी भी कक्षा का अध्ययनरत संस्थागत छात्र/छात्रा होना अनिवार्य है। (ii) प्रत्याशी गत वर्ष का/की संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/रही हो।
विश्वविद्यालय प्रतिनिधि–	(i) इस पद हेतु प्रत्याशी की अर्हता छात्रसंघ के अध्यक्ष पद की अर्हता के समकक्ष होगी।
संकाय प्रतिनिधि –	(i) प्रत्याशी को सम्बन्धित संकाय का संस्थागत छात्र/छात्रा होना अनिवार्य है। (ii) प्रत्याशी गत वर्ष का/की संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/रही हो।
सांस्कृतिक सचिव	(i) प्रत्याशी को स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। (ii) प्रत्याशी को नामांकन के समय सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भागीदारी करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (iii) प्रत्याशी रा0 स्ना0 महा0 सोमेश्वर में गत वर्ष का/की संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/रही हो।

2/11/2023

(प्रो0 अवनीन्द्र कुमार जोशी)
प्राचार्य
ह0 सिं0 बोरा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सोमेश्वर (अल्मोड़ा)

2/11/2023

(डॉ विपिन चंद्र)
छात्रसंघ प्रभारी
ह0 सिं0बोरा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सोमेश्वर (अल्मोड़ा)

Scanned with OKEN Scanner